कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

3223

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

Spl. Secy.

सेवा में,

3013
4.3.15

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगड़िया

महाशय,

नगर परिषद, खगड़िया के वर्ष 2013–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 728 / 14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0 –
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

2104

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14490 / 2252 **दिनांक–** 28.02.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, खगड़िया

28/02/15
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

192
10/3/15

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.–728/14–15

भाग– I

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम	:–	नगर परिषद, खगड़िया
2. लेखा की अवधि	:–	2013–14
3. लेखापरीक्षा का उददेश्य	:–	अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किया गया पंजी व अभिलेख की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत व प्रस्तुत अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गई की सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि	:–	13.08.14 से 27.08.14
5. प्रशासन	:–	

1) मुख्य पार्षद का नाम	**अवधि**
क) **श्री मनोहर कुमार यादव**	01.04.2013 से 31.03.2014 तक
2) उपमुख्य पार्षद का नाम	**अवधि**
क) **श्री राजकुमार फोगला**	01.04.2013 से 31.03.2014 तक
3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी	**अवधि**
क) **श्री महेश्वर प्रसाद सिंह**, बि0,प्र0,से0	01.04.2013 से 31.03.2014 तक

6 **लेखापरीक्षा दल के सदस्य**

1. श्री शिवराम (ले0प0)
2. श्री संगम तिवारी (ले0प0)
3. श्री रंजीत कुमार (स0ले0प0अ0)
4. श्री राजेश कुमार–III (स0ले0प0अ0)

7 **पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम**– श्री राजीव कुमार–I (व0ले0प0अ0)

8 **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन**

पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन–अप्रस्तुत

9 **अंकेक्षण टिप्पणी**

नगर परिषद, खगड़िया की लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसुली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाए। वार्षिक लेखे इत्यादि का संधारण नहीं किया जा रहा था। नगर परिषद, खगड़िया प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाए। वसूली

राशि को ससमय जमा नहीं किया जा रहा था। अवरोधित राशि का उपयोग नही किया जा रहा था। राशि को चालू खाते में नहीं रखा जाए। नगर परिषद प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

10 **कार्यपालक से वार्तालाप की गई** – हाँ (27.08.14)

11 **लेखापरीक्षा का परिणाम** –

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि– शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि– ₹4347751.00

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– ₹3015331.00

विस्तृत विवरणी विवरण सं0–3 पर है।

12 बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम –2007 की धारा– 84 के भाग (i) के अनुसार नगर निकाय को तैयार किए गए बजट प्राक्कलन मार्च माह के 15 तारीख तक सरकार को भेजना है भाग (2) के अनुसार बजट प्राक्कलन सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाएगे एवं संशोधन अथवा बिना संशोधन के राज्य सरकार द्वारा मार्च–31 के पहले निकाय को भेजे जाएँगे।

लेखापरीक्षा अभियुक्ति–

(i) लेखापरीक्षा मे उपलब्ध 2013–14 बजट के अनुसार सरकार को बजट ज्ञापांक–628, दिनांक 02.04. 2013 को भेजा गया, जबकि सरकार को बजट मार्च 15 तक भेज देनी थी, बजट बिलंब से भेजा गया।

(ii) बजट के अनुसार लोक निर्माण कार्य के अंतर्गत विभिन्न मद में संभावित व्यय को दर्शाया गया है–

क्र0सं0	मद	संभावित व्यय	वास्तविक व्यय
1	न0प0 तहसील मद से सड़क	5000000	शून्य
2	न0प0 तहसील मद से नाला निर्माण	5000000	शून्य
3	BRGF योजना से	8000000	शून्य
4	न0प0 कार्यालय के पीछे खाली जमीन पर गैरज एवं मीटींग हॉल निर्माण	5000000	शून्य
5	भंडार गृह निर्माण कार्य	2000000	शून्य

उपयुर्त्त विवरण से स्पष्ट है कि संभावित व्यय की तुलना में वास्तविक व्यय शून्य है, जो बजट की स्थिति से परे है। ऐसा बजट तैयार करने का कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया।

(iii) सरकार द्वारा बजट स्वीकृत कर नगर निकाय को वापस नहीं भेजा गया था।

आपति के जवाब में बताया गया कि– भविष्य में बजट को समय पर प्रेषित किया जाएगा। बजट बनाते समय संभावित आय– व्यय को ध्यान में रखा जायेगा। अतः भविष्य में बजट के संदर्भ में ध्यान रखा जाए।

13. वित्तीय विवरण और बैलेंश शिट – तैयार नहीं किया गया।

14. आय– व्यय विवरणी (सहायक रोकड़ बही एवं पी.एल खाता)

लेखापरीक्षा में उपलब्ध सहायक रोकड़बही एवं P/L रोकड़बही का आय– व्यय तैयार किया गया (विवरणी संलग्न) जिसमें निम्नलिखित त्रुटि पाई गई है।

(i) नगर परिषद द्वारा आय– व्यय का मासिक ,त्रैमासिक एवं वार्षिक शीर्षवार वर्गीकरण एवं शेष का विवरण तैयार नहीं किया गया था।

(ii) लेखापरीक्षा में P/L रोकड़ बही के लिए ट्रेजरी पासबुक उपलब्ध नहीं कराया गया था, परन्तु ट्रेजरी स्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया था जिसके अनुसार P/L रोकड़ बही एवं ट्रेजरी स्टेटमेंट के 31.03.14 के अंतर ₹672648 का समाधान नहीं किया गया है।

(iii) SJSRY के रोकड़ बही एवं बैक पासबुक के अंतर का समाधान नहीं किया गया है।

(iv) एक मद के लिए एक ही रोकड़ बही एवं एक ही पासबुक का संधारण किया जाना चाहिए परन्तु जाच मे पाया गया कि सहायक रोकड़ बही एवं P/L रोकड़ बही में एक मद की राशि संधारित की गई है।

(v) समाजिक सुरक्षा पेंशन मद के लिए दो रोकड़बही एवं दो पासबुक का संधारण किया गया था।

विस्तृत आय– व्यय की विवरणी विवरण सं0– 01 पर है।

उपर्युक्त आपति के जबाब में बताया गया कि समाधान कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा। उपरोक्त आपत्तियों का समाधान कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

भाग—— I I क – शून्य

भाग—— I I ख

कंडिका– 01 चालू खाता में राशि रखने से साधारण ब्याज के रूप में न्यूनतम राशि ₹9.92 लाख की क्षति

खगड़िया, नगर परिषद में तेरहवीं वित आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2013–14 में प्राप्त राशि, चतुर्थ राज्य वित आयोग की वर्ष 2012–13 (30.03.2013 को) में एवं वर्ष 2013–14 में प्राप्त राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत प्राप्त राशि को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, खगड़िया के चालू खाता सं0– 11068089956 में रखा गया था तथा इसी से लेन– देन होता था। राशि मदवार प्राप्ति की तिथि निम्न है–

क्र0सं0	मद का नाम	प्राप्त राशि	खाते में जमा की तिथि
1	तेरहवीं वित आयोग	2466700	11.05.2013
2	तथैव	479000	10.05.2013
3	तथैव	2773646	02.08.2013
4	चतुर्थ राज्य वित आयोग	15368807	30.03.2013
5	तथैव	18362186	25.03.2014
6	सामाजिक सुरक्षा	1705800	26.03.2013
7	तथैव	1526900	05.08.2013

1319

उपरोक्त खाता इस उद्देश्य हेतु नगर परिषद द्वारा खोला गया था कि ट्रेजरी से स्थापना मद हेतु चेक को भुनाकर इस खाते में जमा कर उसी दिन या उसके अगले दिन राशि की निकासी कर ली जाती थी। इस खाते हेतु रोकड़बही का संधारण नही किया जाता था सिर्फ चेक संचालन पंजी संधारित किया जाता था।

योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक यो0– 4/1–48/2012–3311/यो0 वि0, पटना, दिनांक 17.08.2012 के अनुसार "कई विभागों के द्वारा राज्य, केन्द्र या केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि की राज्य या क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर निकासी कर सोसायटी अथवा निगम के माध्यम से योजनाओं पर व्यय किया जाता है। सोसायटी/ निगम के द्वारा बैंक में राशि संधारण किया जाता है, जिसपर ब्याज का अर्जन होता है। लगातार चलने वाली योजनाओं मे सूद की राशि का उपयोग उसी योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा"।

अगर उपरोक्त राशि को बचत खाता में रखा जाता तो ब्याज के रूप में कम से कम राशि ₹9,92,563 प्राप्त होता। गणना का विवरण निम्न है–

क्र0सं0	माह का नाम	अंतिम दिन की अवशेष राशि	चार प्रतिशत ब्याज की राशि	अभियुक्ति
1	अप्रैल 2013	17077879	56926	01.04.13 को अवशेष राशि में रू 4,04,812 अन्य मद की है जिसमें रू 67,050 का भुगतान 12.04.13 को हुआ था को घटाकर शेष 3,37,762 को घटाकर प्रत्येक माह की शेष पर गणना किया गया है।
2	मई 2013	20370110	67900	
3	जून 2013	19783212	65944	
4	जुलाई 2013	19418207	64727	
5	अगस्त 2013	21161866	70539	
6	सितम्बर 2013	19931210	66437	
7	अक्टुबर 2013	18558538	61861	
8	नवम्बर 2013	17470115	58233	
9	दिसम्बर 2013	16094894	53649	
10	जनवरी 2014	15100839	50636	
11	फरवरी 2014	13498514	44995	
12	मार्च 2014	22390167	74633	
13	अप्रैल 2014	21286979	70956	
14	मई 2014	19917685	66392	
15	जून 2014	18510413	61701	
16	जुलाई 2014	17200373	57334	
			992563	

तेरहवीं वित आयोग, चतुर्थ राज्य वित आयोग एवं सामाजिक सुरक्षा की राशि को चालू खाता में क्यों और किनके आदेश से रखा गया के जबाब में कहा गया–

"खाता सं. 11068089956 नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, खगड़िया के नाम से खोली गई है। इस खाते में कार्यालय कर्मी/सफाई कर्मी का वेतन, चिकित्सा अनुदान, योजना मद में प्राप्त आवंटन की कोषागार से हस्तांतरित राशि रहती है। योजनाओं की राशि इस खाते से संबंधित खाते में हस्तांतरित हो जाती है। नगर परिषद कार्यालय द्वारा इस खाते के संचालन के लिए चेक संचालन पंजी खोली गई है।

संबंधित योजनाओं के बैंक खाते विलंब से विभिन्न बैंको में खोले गये है एवं खातो के चेक विलंब से प्राप्त हुआ। योजनाओं के लिए जो राशि प्राप्त होती है। उसका उद्देश्य ब्याज कमाना नहीं होता है। बल्कि राशि से योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना होता है। अतः इस आपत्ति को विलोपित करने की कृपा की जाय।चालू खाते से राशि की निकासी शीघ्र कर इसे बचत खाते में रखा जायेगा। जिससे कि ब्याज की क्षति न हो।"

जवाब गलत था। चालू खाता में राशि के संधारण करने से हुई साधारण ब्याज की क्षति राशि ₹9,92,563 की वसूली संबंधी दोषी से किया जाए। चालू खाता में राशि रखने से सरकारी दिशानिर्देश की अवहेलना किया गया। सभी मदों की अवशेष राशि को इस खाते से निकालकर संबंधित अलग– अलग बचत खातो में रखा जाए।

कंडिका–02 तेरहवीं वित्त आयोग की वर्ष 2013–14 में प्राप्त राशि ₹57,19,346 की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं

तेरहवीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा नगर परिषद को वर्ष 2013–14 में कुल राशि ₹57,19,346 स्वीकृत एवं जारी किया गया था। परंतु इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं किया गया था। उक्त राशि RTGS के द्वारा प्राप्त हुआ था तथा अंकेक्षण के दौरान एस.बी.आई. मुख्य शाखा, खगड़िया कि चालू खाता सं0 11068089956 में विभिन्न तिथियों में जमा होना ज्ञात हुआ। विवरण नीचे है–

क्र0 सं0	सस्वीकृति पत्रांक व दिनांक	प्राप्त राशि	खाते में जमा की तिथि	राशि का विवरण
1	02.05.2013	24,66,700	11.05.2013	2012–13 की जेनरल बेसिक ग्रांट की द्वितीय किश्त
2	05.04.2013	4,79,000	10.05.2013	2012–13 की जेनरल परफारमेंस ग्रांट की प्रथम किश्त
3	19.07.2013	27,73,646	02.08.2013	2013–14 की जेनरल बेसिक ग्रांट की प्रथम किश्त
कुल		57,19,346		

उक्त राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में नही थी, साथ ही रोकड़ बही में राशि दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि राशि का व्यय भी नहीं हुआ। इस प्रकार राशि भी अवरोधित थी।

आपति के जबाब में बताया गया कि 13वीं वित्त आयोग की राशि पंजाब नेशनल बैंक, खगड़िया के बचत खाता संख्या– 4931000100053596 में रखी गई है। इसकी जानकारी विभाग को सूचित है। इस खाता को समय– समय पर अद्यतन किया जाता है। खाते में राशि बूडा के द्वारा भेजा जाना था, जो इस खाते में नहीं भेजी गई है। फलस्वरूप इस कार्यालय को राशि प्राप्ति की जानकारी नहीं मिल पाई, न ही इसे रोकड़ पंजी में दर्ज किया गया है।

जबाब तर्कसंगत नही था। अंकेक्षण के दौरान एस बी आई खाता की अद्यतन विवरणी प्राप्त करने पर राशि जमा ज्ञात हुआ। अवरोधित राशि ₹57,19,346 को अतिशीघ्र उपयोग किया जाए तथा प्राप्ति की विवरणी रोकड़ बही में भी संधारित किया जाए।

कंडिका– 3(i) कम जमा/नही जमा (होल्डिंग रसीद) नगद द्वारा ₹300

नगर परिषद, खगड़िया के वर्ष 2013–14 के होल्डिंग रसीद के लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि राशि ₹300 नगद कम जमा है। विवरण निम्न है–

क्र0 सं0	होल्डिंग रसीद सं0	दिनांक	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	वसूलीकर्त्ता/कर–संग्राहक का नाम	अभियुक्ति
01	28461 से 28465, 28470 से 28494, 28499, 28500	03.06.14 से 05.06.14, 05.06.14 से 10.06.14, 12.06.14, 12.06.14	51,655 (नकद)	51,355 (नकद)	श्री अमरेन्द्र कुमार	

कम/नहीं जमा की गई राशि (51,655– 51,355) अर्थात ₹300। आपत्ति निर्गत करने के पश्चात राशि ₹300 विविध रसीद सं0 6457 दिनांक 24.08.2014 द्वारा जमा कर दिया गया। ₹300 की राशि बैंक/नगर निधि में जमा का साक्ष्य नहीं पाया गया। अतः इस राशि को बैंक में जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

कंडिका–3(ii) दुकान किराया कम अथवा नहीं जमा राशि

नगर परिषद, खगड़िया के वर्ष 2013–14 अवधि के विभिन्न संग्रहकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत स्टॉल वसूली पंजी एवं दुकान रसीद के मिलान के कम ये पाया गया की कुल राशि ₹1060.00 कम जमा की गयी थी।

क0 सं0	रसीद सं0	संग्रहन तिथि	संग्रहित राशि	जमा राशि	जमा की तिथि	कम/नहीं जमा राशि	संग्रह
01.	6243–6269	30.04.2013–14.05.2013	15,055	15,035	28.06.13	20	अमरेन्द्र कुमार
02.	6401–6429	05.04.2013–15.04.2013	19,845	18,845	30.04.13	1000	मणिभूषण कुमार
03.	6684	14.8.2013	2668	2628	26.08.13	40	
कुल			37,568	36,508		1060	

आपति के जबाब में बताया गया कि– अमरेन्द्र कुमार एवं मणिभूषण सिंह से राशि की वसूली कर ली गई है। विविध रसीद सं0 क्रमशः 6456 एवं 6458 दिनांक 24.08.2014 द्वारा राशि क्रमशः ₹20 एवं ₹1040 है। बैंक/नगर निधि में जमा का साक्ष्य नहीं पाया गया। अतः ₹1060 की राशि बैंक/नगर कोष में जमा को अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

कंडिका–3(iii) कम जमा/नही जमा (होल्डिंग रसीद) चेक द्वारा

नगर परिषद, खगड़िया के वर्ष 2013–14 के होल्डिंग रसीद के लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि राशि ₹14524 चेक द्वारा नही जमा है। विवरण निम्न है–

316

क्र0 सं0	होल्डिंग रसीद सं0	दिनांक	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	कम जमा की गई राशि	वसूलीकर्त्ता/कर संग्राहक का नाम	अभियुक्ति
01	25954	12.02.2014	14524	शुन्य	14524	श्री अनिल कुमार राय	चेक द्वारा नही जमा

अतः राशि ₹14524 परिषद कोष में जमा नही की गई थी।

आपत्ति के जबाब में बताया गया कि– अनिल कुमार राय के द्वारा जो चेक प्राप्त किया गया है। उसका बैंक खगड़िया में नहीं है। जिसके कारण चेक क्लीयर नहीं हो पाया। कर संग्रहकर्त्ता को आदेश दिया गया है कि कोषपाल से चेक वापस लेकर होल्डिंगधारी को वापस करें और उनसे नगद राशि/बैंकर्स चेक/मल्टीसिटी चेक प्राप्त करें। अतः ₹14524 वसूली संबंधित होल्डिंगधारी/श्री अनिल राय से कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

कंडिका–3(iv) चापाकल गड़ाई की योजना में अधिक भुगतान ₹1.94 लाख

सशक्त स्थाई समिति के बैठक दिनांक 08.04.2013 के प्रस्ताव स0 3 के द्वारा 150 अदद चापाकल गड़ाई की योजना ली गई थी। तदनुसार पी0एच0ई0डी0, खगड़िया के कार्यपालक अभियंता के दिनांक 02.05.2013 का मानक प्राक्कलन ₹15,690 प्राप्त किया गया।

अल्प कालीन कोटेशन प्राप्त कर संवेदक श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, बापू नगर, बलुआही, खगड़िया को पत्रांक– 1369 दिनांक 24.06.2013 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया।

संवेदक द्वारा 142 चापाकल का अधिष्ठापन किया गया इसके एवज में कुल बिल की राशि ₹22,97,980 के विरुद्ध 5% वैट कि राशि ₹114899 की कटौती कर राशि ₹21,83,081 संवेदक को भुगतान किया गया। विवरण नीचे है–

क0 सं0	चापाकल की सं0	बिल की राशि	वैट की कटौति की गई राशि	भुगतान राशि	चेक सं0	दिनांक	मद	खाता सं0
1	52	8,15,880	40,794	3,33,798	487028	28.11.2013	चतुर्थ वित्त	पी0एल0 रोकड़ बही एस0बी0आई0 मुख्य शाखा चालू शाखा खाता सं0–11068089956
				4,41,288	173269	28.11.2013	–वही–	
2	40	6,27,600	31,380	5,96,220	173286	10.02.2014	बारहवी वित्त	
3	50	8,54,500	42,725	8,11,775	173301	25.03.2014	बारहवीं वित्त	
कुल	142	22,97,980	1,14,899	21,83,081				

अंकेक्षण टिप्पणी–

(क) आयकर की कटौती नही– संवेदक के बिल से 2.24% आयकर की कटौती (अर्थात राशि ₹51,475) नहीं किया गया था। इस प्रकार संवेदक को राशि ₹51,475 का अधिक भुगतान किया गया था तथा सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाया गया।

1315

(ख) सुरक्षित जमा राशि 5% की कटौती नही – संवेदक के बिल से 5% सुरक्षित जमा राशि ₹1,14,899 कि कटौती नहीं की गई।

(ग) एक वर्ष के संधारण की कटौती नही करना :– पी0एच0ई0डी0 के प्राकलन में प्रति अदद चापाकल के एक वर्ष के रख रखाव हेतु ₹154.97 का प्रावधान था। इसका भुगतान अधिष्ठापन के एक वर्ष के पश्चात् करना चाहिए था। परन्तु, इस हेतु राशि ₹22,005 का भुगतान अधिष्ठापन के समय ही कर दिया गया। इस प्रकार राशि ₹22,005 का अनियमित व्यय किया गया।

(घ) जल की जॉच– प्राक्कलन में प्रति अदद चापाकल हेतु राशि ₹40 का प्रावधान जल की जॉच जिला प्रयोगशाला में कराने हेतु तथा फोटोग्राफी हेतु था। संचिका में जिला प्रयोगशाला में जल की गुणवत्ता जॉच के संबध में कोइ उल्लेख नहीं था अलवत्ता इसकी अधिष्ठापन की जॉच कार्यालय के एक सहायक द्वारा कराया गया था। इस प्रकार राशि ₹5,680 का अधिक भुगतान किया गया। गाड़े गये चापाकल के जल के गुणवत्ता की जॉच नहीं किया गया।

आपति के जवाब में बताया गया कि –संवेदक श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, बापू नगर बलुआही, खगड़िया से राशि को वसूली के लिए इस कार्यालय के पत्रांक– 1567 दिनांक 23.08.2014 द्वारा आदेश निर्गत किया जा चुका है। यह खर्च 12वीं वित्त आयोग से की गई है। 12वीं वित्त की राशि पी0एल0 खाते में जमा थी। पी0एल0 खाते का चेक समाप्त हो जाने के उपरांत दो माह तक कोषागार से नया चेकबुक निर्गत नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति में चालू खाते से संवेदक को भुगतान किया गया। जिसका समायोजन पी0एल0 खाते के चेक संख्या 487143 दिनांक 09.08.2014 से किया गया (चालू खाता संख्या 11068089956 में राशि जमा किया गया) एवं इसे अगस्त 2014 में लेखापाल के रोकड़ बही में दर्ज किया जा रहा है। विविध रसीद सं0 6463 दिनांक 25.08.2014 द्वारा संवेदक ने राशि ₹1,94,059 अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद निधि में जमा कर दिया।

भविष्य में भुगतान करते समय उपरोक्त कटौतियों को ध्यान में रखा जाए। ₹194059 को बैंक/नगर निधि में जमा का साक्ष्य नहीं पाया गया। अतः इस राशि को बैंक में जमा कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

कंडिका–04 सोलर लाईट (तेरहवीं वित्त) की क्रय में अधिक भुगतान ₹1.65 लाख

नगर परिषद, खगड़िया द्वारा कार्यादेश पत्रांक 1351 दिनांक 16.12.11 द्वारा प्रति अदद ₹32525 की दर से सोलर लाईट की आपूर्त्ति हेतु मेसर्स आस्तु इंटरप्राईजेज, मेन रोड खगड़िया को दिया गया था। 21.09.2011 को कोटेशन खोला गया था तथा न्यूनतम दर वाले को कार्यादेश दिया गया। कार्यादेश 52 अदद सोलर लाईट का था।

अंकेक्षण अवधि तक फर्म को 23 अदद सोलर लाईट के अधिष्ठापन हेतु बिल की राशि ₹748075 में से वैट की राशि ₹30475 की कटौती कर ₹717600 पी0एल0 रोकड़बही की चेक संख्या 487051 दिनांक 03.03.2014 को भुगतान किया गया।

1314

अंकेक्षण टिप्पणी

1. यह बोर्ड की बैठक से पारित था या नहीं उसकी प्रति उपलब्ध कराया नहीं गया।
2. सोलर लाईट की क्रय हेतु उस समय बेल्ट्रान का दर प्रचलित था। बेल्ट्रान का दर दिनांक 26.05.11 से प्रति अदद ₹26684 (अधिष्ठान व भाड़ा सहित) था। इसमें टैक्स भी सम्मिलित था। इसके अलावे सोलर पैनल की 10 वर्षो तथा चार्जर सेट की दो वर्ष की वारंटी भी सम्मिलित था। जबकि क्रय ₹32525 की दर से किया गया था।
3. इसकी भंडार पंजी तथा वर्त्तमान स्थिति से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया ।
4. फर्म की कोटेशन में 3 साल की गारंटी लिखा हुआ था। इसे प्राप्त किया गया अथवा नहीं इसकी जानकारी नहीं दी गयी।
5. कोटेशन में वर्णित स्पेशिफिकेशन के अनुसार अधिष्ठापन नहीं किया गया।
6. गारंटी की स्थिति में 5% Performance secruity ₹30475 (609500 का 5%) की कटौती नहीं की गई थी।

आपति के जबाब में बताया गया – बेल्ट्रान द्वारा स्वीकृत दर की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है।

कार्यालय का जबाब तर्कसंगत नही है। बेलट्रान की दर पर क्रय नही करने से इस योजना में राशि ₹1,34,343 का अधिक भुगतान फर्म को किया गया साथ ही परफारमेंस सिक्यिुरिटी की राशि ₹30475 की भी कटौती नही की गई।

अतः राशि ₹1,64,818 की वसूली आस्तु इंटरप्राईजेज से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका– 5 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का अवरोधन ₹1.56 करोड़

जिला परिषद से वर्ष 2013–14 में कुल राशि ₹43,64,820 प्राप्त हुआ था (12.2.14 को ₹39,68,944 व 6.3.14 को ₹395,876)। रोकड़ बही के अनुसार 01.04.13 को अंतशेष ₹1,10,11,867 था। कुल प्राप्ति राशि ₹1,58,04,480 के विरुद्ध मात्र राशि ₹1,97,969 का व्यय हुआ था तथा 31.03.14 व अब तक राशि ₹1,56,06,511 अवरोधित थी। रोकड़ बही की नमूना जॉच में पाया कि जून 2011 से प्राप्त जिला परिषद से तथा बैंक सूद की राशि अवरोधित था। साथ ही वर्ष 2011–12 के पश्चात 2012–13 एवं 2013–14 की योजना पर राशि का भुगतान शुन्य था। क्या वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में योजना शुरु नहीं किया गया था यदि नहीं तो इसके शुरु नहीं करने तथा राशि अवरोधित रखने से राशि प्राप्ति का उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

आपति के जवाब में बताया गया कि अनुदान की राशि व्यय नहीं किये जाने के निम्नलिखित कारण है –

(क) कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का नहीं होना।

(ख) तकनीकी पदाधिकारी के नहीं होने के कारण डूडा के कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को नगर परिषद से सम्बद्ध किया गया था। वे कार्यभार के कारण प्राक्कलन तैयार नहीं कर पाये।

(ग) कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता भी अन्य विभाग से डूडा में प्रतिनियुक्त हैं।

1313

(घ) कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता का स्थानांतरण होने से भी प्राक्कलन तैयार नहीं हो सका।

(च) कनीय अभियंता का नियोजन नगर परिषद, खगड़िया द्वारा कर लिया गया है। उनके द्वारा छह बी0आर0जी0एफ0 योजना का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। सहायक अभियंता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, कार्यपालक अभियंता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार योजना कार्यान्वित की जायेगी।

अवरोधित अनुदान राशि का यथाशीघ्र उपयोग किया जाए।

कंडिका– 06 हस्त ठेला की क्रय(तेरहवीं वित्त) में अधिक भुगतान ₹0.13 लाख

30 अदद हस्त ठेला की क्रय हेतु प्रस्ताव 28.09.2013 को लिया गया था तथा उसी दिन अल्पकालीन कोटेशन सूचना आमंत्रित किया गया था। तदनुसार मेसर्स कर्मशक्ति कन्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, एम0जी0 मार्ग, बलुआही, खगड़िया को प्रति अदद ₹8550 की दर से पत्रांक 2680 दि0–01.11.2013 द्वारा आपूर्ति आदेश दिया गया।

फर्म द्वारा दिनांक 03.03.14 को ₹2,69,325 का बिल दिया गया। इसमें से वैट की राशि ₹12,825 की कटौती कर राशि ₹2,56,500 का भुगतान पी0एल0 चेक सं0 487081 दि0 19.03.14 द्वारा किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. अल्पकालीन कोटेशन में शर्त सं0 2 में यह निहित था कि आपूर्तिकर्ता को एक वर्ष तक निःशुल्क रख–रखाव करना होगा। ऐसी शर्त रहने के बावजूद भी फर्म को सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया। जबकि परफारमेंस सिक्यूरिटी के रूप में 5% राशि ₹12,825 को लंबित रखना चाहिए था। परन्तु ऐसा नही किया गया। पुनः पूर्व लिए गए जमानत की राशि 5,000 को भी 12.07.14 को वापस कर दिया गया।

रख– रखाव के संबंध में कोई भी राशि लंबित नही था। इस प्रकार राशि ₹12,825 का अनियमित भुगतान किया गया।

2. स्वच्छ्ता निरीक्षक, नगर परिषद खगड़िया को गुणवता प्रमाण पत्र हेतु 14.03.14 को आदेश दिया गया था। परंतु इसकी गुणवता के संबंध में कोई भी दस्तावेज संचिका में नहीं था। बिना गुणवता प्रमाण–पत्र के भुगतान क्यों किया गया था।

3. इसकी भंडार पंजी के अवलोकन में पाया कि मात्र 18 ठेला ही 28.07.2014 तक वितरित किया गया था। शेष 12 अदद भंडार में था। बिना आवश्कता के क्रय किया गया था।

4. क्रय हेतु नगर परिषद बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त किया गया या नहीं।

आपति के जवाब में बताया गया कि– आपूत्तिकर्त्ता कर्मशक्ति कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर, एम0जी0 मार्ग बलुआही, खगड़िया नगर परिषद को हाथ ठेला के अतिरिक्त एल0ई0डी0 बल्व भी आपूर्त्ति कर रही है। सामग्री खराब पाये जाने पर वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक, रासायनिक अभियंता नहीं है। आपूर्त्ति किया गया हाथ ठेला में लगा फाईबर एवं स्टील की जांच स्वच्छता निरीक्षक किस ज्ञान के आधार पर करेगा। लेकिन उससे यह अपेक्षा की गई थी कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि हाथ ठेला में लगे नट वोल्ट एवं फाईबर दुरूस्त हैं या नहीं। हाथ ठेला कार्यालय में उपलब्ध है, जिसकी गुणवत्ता देखी जा सकती है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपूर्त्ति की गई सामग्री का निरीक्षण किया गया था। फाईबर की मोटाई एवं छूकर देखने से लगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, चक्का का बेंरिग सही है, नट वोल्ट आदि ठीक है।

ठेला एम0जी0 रोड एवं स्टेशन रोड में सफाई करने वाले कर्मियों के द्वारा उठाव नहीं किया गया है। साथ ही साथ जहां दो सफाई कर्मी है वहां भी एक ही ठेला लिया गया है, जिसके कारण नगर परिषद कार्यालय में ठेला पड़ा हुआ है। धीरे– धीरे सभी ठेला सफाई कर्मियों के द्वारा लिया जायेगा एवं उपयोग किया जायेगा। हाथ ठेला के क्रय की स्वीकृति नगर परिषद बोर्ड/सशक्त स्थाई समिति से प्राप्त है, दिनांक 07.10.2013 का प्रस्ताव संख्या दस में अंकित है।

जवाब संतोषजनक नही है। परफारमेंस सिक्यूरिटी की राशि ₹12,825 की वसूली फर्म से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका– 07 सफाई कार्य हेतु समन्वय को अनियमित भुगतान

समन्वय, एन.जी.ओ को वार्ड सं0–12, 17, 21, 22, 23 में सफाई कार्य हेतु अंकेक्षण अवधि में कुल राशि 17,31,660 का भुगतान किया गया था। भुगतान 13वी वित हेतु प्राप्त राशि से किया गया था। इनके द्वारा सफाई कार्य 05.06.2013 से शुरू किया गया था। दर प्रतिमाह ₹1,99,500 था। भुगतान का विवरण निम्न है–

क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	रोकड़बही का नाम	माह
1	486991	03.09.2013	3,35,160	पी0एल0	जून–जुलाई 2013
2	487001	08.10.2013	1,99,500	पी0एल0	अगस्त 2013
3	487038	06.01.2014	5,98,500	पी0एल0	सितम्बर–नवम्बर 2013
4	487078	14.03.2014	5,98,500	पी0एल0	दिसम्बर 2013–फरवरी 2014
			1731660		

अंकेक्षण टिप्पणी

1. क्या एन.जी.ओ को सफाई कार्य देने के पूर्व नगर परिषद बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त किया गया था।
2. इन पॉच वार्डो में सफाई कार्य एन.जी.ओ को देने की आवश्यकता क्यो पड़ी।
3. क्या एन.जी.ओ को सफाई कार्य सुपुर्द करने से सफाई के गुणवता में वृद्धि हुई। क्या इसमें वित्तीय औचित्य का पालन किया गया।
4. जून 2013 के पूर्व इन पॉच वार्डो की सफाई में मजदूरों सहित उपकरणों पर कितनी राशि प्रतिमाह खर्च होता था। क्या राशि ₹1,99,500 प्रतिमाह से कम या अधिक व्यय होता था। क्या इसमें वित्तीय बचत हुआ।
5. एकरारनामा की शर्त पॉच के अनुसार कुडा को मधुरापुर स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में गिराना था। जो संबंधित वार्ड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। परंतु नगर प्रबंधक दारा जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.11.

2013 व 26.12.13 के अनुसार कुडा को रेलवे के गडडे में फेका जाता था। जिसकी दूरी 0.5 किलोमीटर थी। रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था साथ ही जब कम दूरी पर कुडा का निष्पादन हो रहा था तो समन्वय को कम राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया था।

6. एन.जी.ओ द्वारा कार्य में लगाये गये मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता था। यह अस्पष्ट था।
7. एन.जी.ओ का भंडार कक्ष था। इसमें सफाई से संबंधित कौन– कौन से उपकरण व वाहन थे, नगर परिषद से भी सफाई उपकरण दिया गया था या नहीं यह नहीं बताया गया।
8. जुन 2013 के पुर्व इन वार्डो में कार्य कर रहे सफाई मजदूर का उपयोग अब कहॉ हो रहा है। जुन 2013 से इन वार्डो में नगर परिषद कोई सफाई मजदूर कार्य भी कर रहा है इसकी जानकारी नहीं दी गयी।
9. व्यय 13वीं वित्त के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की राशि से हो रहा था। संग्रहित कुडा कचरा से ठोस अपशिष्ट कार्य हो रहा था, यह नहीं बताया गया।
10. आयकर 2 प्रतिशत कटौती नहीं ₹34,634 (चौतिस हजार छः सौ चौतिस)

आयकर अधिनियम के सेक्शन 194 (J) के अनुसार पुरे वर्ष में किसी संस्था जिन्हें राशि ₹20000.00 से अधिक भुगतान किया गया या योग्य है, से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती करना हैं। समन्वय को वर्ष 2013–14 में कुल राशि रू० 17,31,660 का भुगतान किया गया परंतु 2 प्रतिशत आयकर अर्थात ₹34,634 की कटौती नहीं की गई।

आपति के जवाब में बताया गया कि –नगर परिषद खगड़िया में 26 वार्ड है एवं यहां 69 सफाई कर्मियों का पद स्वीकृत है। इस पद के विरूद्ध 88 नियोजित कर्मियों से काम लिया जाता है। विभाग को पद स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु अबतक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। नगर परिषद, खगड़िया 1960 के दशक में एक अधिसूचित क्षेत्र था एवं इसके सफाई कर्मियों का स्वीकृत पद 69 था। जनसंख्या उस समय लगभग पांच से सात हजार एवं वार्डो की संख्या सात थी। वर्त्तमान में वार्डो की संख्या बढ़कर 26 हो गई है एवं जनसंख्या 49403 हो गई। पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्वीकृत पद से अधिक सफाई कर्मियों के रखने पर आपत्ति उठाई गई है। लेकिन नगर परिषद के सफाई का काम इसके प्राथमिक दायित्व में आता है एवं नगर परिषद खगड़िया अपने संसाधनों से इसके वेतन का भुगतान करने में वर्त्तमान दर पर सक्षम है। फिर भी विभाग से पद स्वीकृति की अपेक्षा अंकेक्षण आपत्ति के आधार पर की गई है।

12वीं वित्त, 13वीं वित्त एवं चतुर्थ वित्त में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर काफी अधिक राशि दी गई है ताकि नगरपालिका सफाई की व्यवस्था को सुदृढ कर सके। अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट किये जाते है :

(i) नगर परिषद की सशक्त स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.05.2014 के प्रस्ताव संख्या तीन से समन्वय को वार्ड संख्या 12, 17, 21, 22 एवं 23 में कार्य करने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है।

310

(ii) सफाई कर्मियों की कमी के कारण एन0जी0ओ0 को सफाई कार्य दिया गया।

(iii) एन0जी0ओ0 को प्रत्येक घर से कूड़ा लेने का काम दिया गया है, जो अबतक नगर परिषद अन्य वार्डो में कर्मचारी के अभाव में नहीं करती है। इन पांच वार्ड से कर्मचारी विमुक्त होने से अन्य वार्डो में सफाई व्यवस्था सुदृढ हुई, ट्रैक्टर पर जहां 16 मजदूर उपलब्ध था एवं तीन से चार गाड़ियां खुलती थी वहां 23 मजदूर उपलब्ध है एवं 05 से 06 गाड़ियां प्रतिदिन कूड़ा उठाने के लिए खुलती है। इसप्रकार पांचों वार्ड के अतिरिक्त अन्य वार्डो में भी सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सफलता मिली।

(iv) जून 2013 के पूर्व पांच वार्डो की सफाई में 13 मजदूर लगा हुआ था। एन0जी0ओ0 के द्वारा तीस मजदूर को लगाया गया है। नगर परिषद खगड़िया चाहते हुए भी प्रयाप्त मजदूरों की व्यवस्था उन पांच वार्डो के साथ अन्य सभी वार्डो में नहीं कर पाई। क्योंकि मजदूरों का अभाव था। अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है, एक वार्ड में सफाई के लिए कम से कम चार मजदूरों (झाडूकश एक, नाला की सफाई के लिए एक से दो, घर– घर से कूड़ा लेने के लिए एक से दो मजदूरों) की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ पांच से छह वार्डो में कम एक सफाई वाहन यथा ट्रैक्टर/ट्रीपर के साथ चालक एवं तीन मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक पांच से छह वार्ड के लिए एक गैंग की आवश्यकता होती है। यदि सफाई कार्य गहन एवं बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया जाय। प्रकाश की व्यवस्था जलापूर्त्ति के लिए नगर परिषद में कोई कर्मी प्रतिनियुक्त नहीं है। अगर यह व्यवस्था भी इसमें जोड़ी जाय तो कम से कम प्रति वार्ड सात से आठ मजदूरों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसे में एन0जी0ओ0 को सफाई कार्य देना मितव्यता है।

(v) नगर परिषद खगड़िया एन0एच0 31 के बगल में ट्रकों के ठहराव के लिए स्थल का चयन किया है एवं इसे विकसित किया जा रहा है। एन0जी0ओ0 को ट्रेचिंग ग्राउण्ड के बदले एन0एच0 31 के बगल में बने गढ़ढे को लैंड फिल करने का आदेश दिया गया है। वर्त्तमान समय में नगर परिषद से जो कूड़ा उठाव किया जाता है, उसे भी एन0एच0 31 के बगल में बने गढ़ढे में डाला जाता है। नगर प्रबंधक अपने जांच के क्रम में यह पाया हो कि रेलवे के गढ़ढे में डाल रहा है, पर यह इक्का– दुक्का घटनाएं है। इसे नियम नहीं समझा जाना चाहिए। रेलवे के किसी पदाधिकारी द्वारा अबतक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। नगर परिषद एन0जी0ओ0 के सफाई कार्य को गहराई से देखती है एवं उनके कार्यो से संतुष्ट है। जहां कहीं भी काम में कमी पाई जाती है, उसे संबंधित संस्था को सूचित किया जाता है, राशि की कटौती की जाती है।

(vi) समन्वय खगड़िया का एक ख्यातिप्राप्त संस्था है, जो न केवल व्यवसायिक कार्य करती है, बल्कि प्राकृतिक आपदा के समय लोक कल्याणकारी कार्य भी करती है। संस्था द्वारा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। किसी भी मजदूर के द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।